

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0, भोपाल.

क्रमांकजी.बी./चार/स्टे(2)2012-13/ ५७४
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16-2-2012

सचिव, म0प्र0 विधानसभा, भोपाल,
राज्यपाल के सचिव,
रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, म0प्र0, जबलपुर, इन्डौर एवं ग्वालियर खण्डपीठ,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
सचिव, म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
अवर सचिव (अधीक्षण), म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, (केवल भोपाल रिथत),

विषय:- प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/कार्यालयों को लेखन सामग्री एवं कागज प्रदाय
करने के संबंध में।
संदर्भ:- म.प्र0शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक 919/1-21/सात/शा-6/95
दिनांक 29-4-1995 एवं 2439/2958/सात/शा-6 दिनांक 17-11-1997.

-0-

संदर्भित परिपत्र द्वारा भोपाल रिथत विभागाध्यक्ष एवं हाईकोर्ट, जबलपुर एवं खण्डपीठों
के अतिरिक्त भोपाल रिथत सभी कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में दर्शाये अनुसार लेखन सामग्री
एवं कागज का प्रदाय सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल
के कार्यालय द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश भण्डार
क्रय नियम में भी है।

2- यह ध्यान में आया है कि कुछ विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा अपने वार्षिक उपयोग की
लेखन सामग्री एवं कागज की माँग सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन
भण्डार, भोपाल को न भेजते हुये खुले बाजार से सामग्री का क्रय किया जा रहा है, जो कि
पूर्णतः वर्जित है।

3- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के संलग्न परिपत्र की छाया प्रति का अवलोकन
करें, विभाग/कार्यालय अपने वर्षभर के उपयोग में आने वाली लेखन सामग्री एवं कागज जो
परिशिष्ट-2 में दर्शाये हैं का वार्षिक उपयोग में आने वाली सामग्री का माँग पत्र प्रतिवर्ष 15
अप्रैल तक सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल के कार्यालय
को भेजें, जिससे वांछित सामग्री का क्रय किया जाकर विभाग/कार्यालय को उनकी माँग की
सामग्री का प्रदाय 15 अगस्त से किया जा सकें। अपरिहार्य परिस्थितियों में विभाग/कार्यालय

के माँग की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त सामग्री का अमांग, प्रमाण पत्र सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल से प्राप्त कर ही आगामी क्रय की कार्यवाही करें। विभागों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का प्रदाय इस विभाग के शीर्ष क्रमांक "0058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण—101—लेखन सामग्रियां प्राप्तियां" में कोषालयीन चालान से जमा करने के पश्चात् चालान की एक प्रति प्रस्तुत करने पर की जावेगी।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0, भोपाल.

पृ0क्र0जी.बी./चार/स्टे(2)2012-13/ 575

भोपाल, दिनांक 16-2-12

प्रतिलिपि :—

- 1— महालेखाकार, म0प्र0, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागों के अंकेक्षण के समय उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही विभागों द्वारा की गई है इसका विशेष रूप से परीक्षण किया जावे एवं नियमों के उल्लंघन की सूचना शासन एवं वित्त विभाग को दी जावें।
- 2— कोषालय अधिकारी, विस्थाचल भवन, भोपाल।
- 3— सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल परिसर, भोपाल-462 011 (दूरभाष क्रमांक-2763055) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं हाईकोर्ट, जबलपुर एवं उनकी खण्डपीठों से उनकी वार्षिक मांग 15 अप्रैल तक प्राप्त कर एकजाई माँग पत्रक भेजना सुनिश्चित करें।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0, भोपाल.

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 919/1-21/सात/शा.-6/95

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 1995.

प्रति,

शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. गवालियर,
सचिव, म. प्र. विधान सभा, भोपाल,
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
सचिव, लौक सेवा आयोग, म. प्र. इन्डौर,
रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, म. प्र. जबलपुर।

विषय :—प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/कायलियों को लेखन सामग्री एवं कागज प्रदाय करने
के संबंध में।

अभी तक सभी शासकीय विभागों/कायलियों को कायलिय उपयोग हेतु लेखन सामग्री तथा कागज
का प्रदाय शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, के अधीनस्थ भोपाल, गवालियर, इन्डौर, जबलपुर एवं
राजनांदगांव स्थित लेखन सामग्री भंडारों के द्वारा किया जाता था।

2. शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में संलग्न परिशिष्ट क्रमांक-1 में
दर्शाये अनुसार केवल भोपाल स्थित कुछ प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर एवं
उनकी खंडपीठों को परिशिष्ट क्रमांक-2 में दर्शाये अनुसार लेखन सामग्री एवं कागज का प्रदाय सहायक
नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भंडार, इंब्राहिमपुरा, स्थित कायलिय द्वारा किया जावेगा।

3. संलग्न परिशिष्ट-2 में दर्शाए गए विभागों को छोड़कर शेष सभी शासकीय कायलिय अब
अपने विभाग प्रमुख/प्रशासकीय विभाग से अनुमति प्राप्त कर उनको स्वीकृत बजट राशि एवं वित्तीय
अधिकारों के अन्तर्गत भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए लेखन सामग्री का खुले बाजार से
क्रय कर सकेंगे।

4. येहां यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि खुले बाजार से क्रय की जाने वाली लेखन सामग्री
एवं कागज की दरें किसी विशेष कम्पनी, ड्राइव-आदि के नाम से नहीं बुलाई जायें, यह पूर्णतः नियमों
के विपरीत है। सामग्री का क्रय केवल अत्यावश्यक उपयोग में आने वाली मात्रा में किया जाय और
शासन के मितव्ययता के आदेशों का पूर्ण पालन किया जाय।

5. लेखन सामग्री के प्रदाय के लिये इस विभाग द्वारा अलग से कोई आवंटन नहीं दिया जावेगा।
सभी विभागों को अपने कायलिय के कायलियीन व्यय के अन्तर्गत उपलब्ध बजट के सम्बन्धित मद
से उनके द्वारा लेखन सामग्री प्राप्त करने के लिये भुगतान चालान द्वारा जमा करना होंगा। आपवादिक

प्रकरणों में नगद भुगतान पर एम.पी.टी.सी. 6 में रसीद प्राप्त करके भी लेखन सामग्री भण्डारों से प्राप्त की जा सकेगी। चालान जमा करने की प्रथा यह होगी कि संबंधित कार्यालय अपना मांग पत्र लेखन सामग्री भण्डार के प्रभारी को प्रस्तुत करेगा। लेखन सामग्री के प्रभारी द्वारा उपलब्ध सामग्रियों की मात्रा एवं मूल्य सूचित करने के पश्चात् विभाग, बांधित राशि का चालान कोषालय में इस कार्यालय के मद क्र. राज्य- "0058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-101-लेखन सामग्रियां प्राप्तियां" में जमा करेगा। जमा की गई राशि के चालान की प्रति लेखन सामग्री के प्रभारी को प्रदाय करना होगी। उक्त चालान प्राप्त होने पर लेखन सामग्री प्रदाय की जायेगी। इस प्रकार लेखन सामग्री का प्रदाय अग्रिम भुगतान पर ही होगा।

6. बड़ी मात्रा में पूर्व वर्षों में प्रदाय की गई लेखन सामग्री की अवशेष राशि विभिन्न विभागों से प्राप्त होना शेष है। विभागों को अवशेष राशि के लिये समय-समय पर बिल भी भेजे गए हैं। लेकिन अभी भी अवशेष राशि का भुगतान शेष है। विभागों के लिये यह बंधन होगा कि वे अवशेष राशि का भुगतान दिनांक 31-7-95 तक करना सुनिश्चित करें। विभाग प्रमुख को ऊपरने अधीनस्थ कार्यालय को अवशेष राशि का भुगतान दिनांक 31-7-95 तक करने के उचित निर्देश भी तत्काल दें होंगे।

7. शासकीय विभागों को लगने वाले शेइयूल फार्म्स का प्रदाय पूर्ववत् शासकीय मुद्रणालयों से किया जाता रहेगा। कौन-कौन से प्रपत्र किस मुद्रणालय से तथा जिले कार्यालय को किस मुद्रणालय से फार्म्स प्रदाय किये जावेंगे इसका विवरण सलग्न परिशिष्ट क्रमांक-3 में दिया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

२१-८१३४६

(श. ह. कान्द्रेकटर)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

प्र. क्रमांक 920/1-21/सात/शा.-6/95

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 1995.

प्रतिलिपि, गिरधरक, शासकीय मुद्रण/तथा लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु अभित।

२१-८१३४६

(श. ह. कान्द्रेकटर)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

परों से
माग
प्रियों
लिय
गा।
गन
न

प्रमुख विभागाध्यक्षों की सूची जिन्हें अब नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग से लेखन सामग्री/कागज का प्रदाय किया जावेगा :—

क्रमांक	विभाग का नाम
1.	सचिव, म. प्र. विधान सभा, भोपाल.
2.	राज्यपाल के सचिव.
3.	रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट एवं उनकी खण्डपीठ.
4.	अवर सचिव (अधीक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, म. प्र. मंत्रालय.
5.	मुख्य निवाचिन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
6.	आयुक्त, राज्य निवाचिन आयोग.
7.	महानिदेशक, म. प्र. पुलिस.
8.	पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अन्वेषक ब्यूरो.
9.	लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
10.	आयुक्त, सहकारी संस्थायें, भोपाल.
11.	आयुक्त, उच्च शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल.
12.	आयुक्त, लोक शिक्षण, म. प्र. भोपाल.
13.	आयुक्त, पुर्नवास, भोपाल.
14.	आयुक्त, विकास, म. प्र. भोपाल.
15.	आयुक्त, पुरातत्व एवं संग्रहालय, म. प्र. भोपाल.
16.	आयुक्त, जनसम्पर्क, भोपाल.
17.	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, भोपाल.
18.	सचिव, संसदीय कार्य विभाग, भोपाल.
19.	सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल.
20.	सचिव, उद्योग एवं खनिज अनुसंधान विभाग, भोपाल.
21.	सचिव, राज्य योजना मंडल, भोपाल.
22.	सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड.
23.	सचिव, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, भोपाल.
24.	जेल महानिरीक्षक, म. प्र., भोपाल.
25.	पंजीयक, म. प्र. उच्च स्थायालय, जबलपुर.
26.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, भोपाल.
27.	संचालक, कृषि विभाग, भोपाल.
28.	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल.
29.	संचालक, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति, भोपाल.
30.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, भोपाल.
31.	संचालक, अर्थिक एवं सांख्यिकी, भोपाल.
32.	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, भोपाल.
33.	संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल.
34.	संचालक, तकनीकी शिक्षा, भोपाल.
35.	संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल.
36.	संचालक, मत्स्योद्योग, भोपाल.
37.	संचालक, सिंचाई अनुसंधान, भोपाल.
38.	संचालक, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, भोपाल.

क्रमांक

विभाग का नाम

39. आयुक्त, हाथकरघा, म. प्र. भोपाल.
40. संचालक, ग्रामीण आवास विकास योजना, भोपालः
41. संचालक, नगर प्रशासन, भोपाल.
42. संचालक, केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई, विद्युत यांत्रिकी सिंचाई विभाग, भोपाल.
43. संचालक, पर्यटन, भोपाल.
44. संचालक, प्रशासन अकादमी, भोपाल.
45. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ.
46. संचालक, खेल एवं युवक कल्याण.
47. संचालक, राजकीय अधिलेखाकार, भोपाल.
48. संचालक, हाइड्रेटिआरोलाजी जैल संसाधन विभाग, भोपाल.
49. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र बानिकी, भोपाल.
50. संचालक, डेनिडा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना, भोपाल.
51. संचालक, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल.
52. संचालक, रेशम संचालनालय, भोपाल.
53. संचालक, क्लैम्स (भोपाल गैस व्रासदी), भोपाल.
54. संचालक, नगरीय कल्याण.
55. संचालक, पेंशन एवं कर्मचारी कल्याण, भोपाल.
56. संचालक, वित्तीय प्रबंधक सूचना प्रणाली, भोपाल.
57. संचालक, लोक अभियोजन भोपाल.
58. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल.
59. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान, भोपाल.
60. संचालक, सैनिक कल्याण, भोपाल.
61. संचालक, विमानन, भोपाल.
62. संचालक, ग्रामीण आवास विकास योजना, भोपाल.
63. प्रमुख बन संरक्षक, भोपाल.
64. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
65. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
66. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल.
67. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल.
68. नियंत्रक, नापतौल विभाग, भोपाल.
69. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि, भोपाल.
70. सम्पदाधिकारी (सतकार) मध्यप्रदेश, भोपाल.
71. सिंचाई सलाहकार, सिंचाई विभाग, भोपाल.
72. अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्रौद्योगिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल.
73. रिलीफ कमिशनर, म. प्र., भोपाल.
74. मुख्य अभियन्ता, सेतु निर्माण, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.

लेखन सामग्री की सूची जिनका प्रदाय सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, ब्राह्मणपुरा, भोपाल से भोपाल स्थित विभागों एवं म. प्र. हाईकोर्ट, जबलपुर को की जावेगी :—

क्रमांक	वस्तु का नाम
1.	कार्बन पेपर पेसिल 21×29.7 से.मी.
2.	कार्बन पेपर पेसिल 29.7×42 से.मी.
3.	कार्बन पेपर टाईपरायटर 21×29.7 से.मी.
4.	कार्बन पेपर टाईपरायटर 29.7×42 से.मी.
5.	डस्टर 71×71 से.मी.
6.	दो सूची क्लाथ बस्ता
7.	आफिस पेस्ट (गम बाटल) 700 एम.एल.
8.	आफिस पेस्ट (गम बाटल) 150 एम.एल.
9.	फाईल लेसेस 61 से.मी.
10.	टेम्स काटन 15 से.मी.
11.	पिन कॉमन (आलपिन)
12.	टाईप रायटर रिबन
13.	स्टेसिल पेपर फॉर गेस्टेटनर डुप्लीकेटर
14.	स्टेसिल पेपर फॉर शोरी डुप्लीकेटर
15.	डुप्लीकेटिंग इक फॉर गेस्टेटनर डुप्लीकेटर
16.	डुप्लीकेटिंग इक फॉर शोरी डुप्लीकेटर
17.	स्टाम्प पैड इक
18.	स्टाम्प पैड
19.	फाईल पैड
20.	रूल्ड रजिस्टर 1 क्वायर
21.	रूल्ड रजिस्टर 2 क्वायर
22.	रूल्ड रजिस्टर 4 क्वायर
23.	शार्ट हैण्ड नोट बुक
24.	सुपीरियर कार्बन पेपर फॉर टाईप रायटर 210×330 एम.एम.
25.	सिल्क रिबन फॉर टाईप रायटर
26.	फोटो कापियर पेपर 21×29.7 से.मी.
27.	फोटो कापियर पेपर 21.5×34.5 से.मी.
28.	फोटो कापियर पेपर 29.7×42 से.मी.
29.	डुप्लीकेटिंग पेपर 21×29.7 से.मी.
30.	टाईप रायटिंग पेपर 21×29.7 से.मी.
31.	टाईप रायटिंग पेपर 29.7×42 से.मी.
32.	क्रीमबोब पेपर 42×59.4 से.मी.
33.	मेनीफोल्ड पेपर (राईस पेपर) 29.7×42 से.मी.
34.	अज्युरलेड पेपर 42×59.4 से.मी.
35.	क्राफ्ट पेपर 42×59.4 से.मी.

अनुसूचियों की सूची

अनुसूची क्रमांक (1)	अनुसूची का नाम (2)	शासकीय मुद्रणालय का स्थान जहां अनुसूची रखी जाती है (3)
एक	लेखा	समस्त शासकीय मुद्रणालय
दो	दीवानी अदालती	इन्दौर
तीन	स्थानीय निधि लेखा	राजनांदगांव
चार	बिक्री कर	इन्दौर
पाँच	फौजदारी अदालती	इन्दौर
छः	अन्न	भोपाल
पाँहत	शिक्षा	राजनांदगांव
आठ	उत्पाद शुल्क (अंग्रेजी)	इन्दौर
आठ (क)	उत्पाद शुल्क (हिन्दी)	इन्दौर
नौ	वन (अंग्रेजी)	रीवा
नौ (क)	वन (हिन्दी)	रीवा
दस	सामान्य (अंग्रेजी)	रीवा
दस (क)	सामान्य (हिन्दी)	रवालियर
ग्यारह	उच्च न्यायालय	राजनांदगांव
बारह	जेल	रवालियर
तेरह	विवाह अधिनियम	राजनांदगांव
चौदह	चिकित्सा (अंग्रेजी)	भोपाल
पन्द्रह	कार्यालय दस्तूरी नोट	समस्त शासकीय मुद्रणालय
सोलह	पुलिस (अंग्रेजी)	भोपाल
स्लेलह (क)	पुलिस (हिन्दी)	भोपाल
सत्रह	लोक निर्माण विभाग (सामान्य)	भोपाल
सत्रह (क)	लोक निर्माण विभाग (सिंचाइ)	रवालियर
सत्रह (ख)	लोक निर्माण विभाग (लेखा)	रवालियर
अठारह	सुंधार विद्यालय	रवालियर
उन्नीस	पंजीयन (अंग्रेजी)	इन्दौर
उन्नीस (क)	पंजीयन (हिन्दी)	इन्दौर
बीस	राजस्व (अंग्रेजी)	रवालियर
बीस (क)	राजस्व (हिन्दी)	रवालियर

(1)	(2)	(3)
बीस (ख)	नाप तोल	रवालियर
इक्कीस	मुद्रांक (अंग्रेजी)	राजनांदगांव
इक्कीस (क)	मुद्रांक (हिन्दी)	राजनांदगांव
बाईस	खजाना	रवालियर
तेर्ईस	बन्दोबस्त	रवालियर
तेर्ईस (क)	पटवारी	रवालियर
चौबीस	कृषि	रीवा
पच्चीस	पशु चिकित्सा विभाग	रीवा
छब्बीस	सचिवालय	भोपाल
सत्ताईस	स्वच्छता (अंग्रेजी)	राजनांदगांव
सत्ताईस (क)	स्वच्छता (हिन्दी)	राजनांदगांव
अट्ठाईस	सहकारी (अंग्रेजी)	इन्दौर
अट्ठाईस	सहकारी (हिन्दी)	इन्दौर
उन्नीस	उंदीग (हिन्दी और अंग्रेजी)	इन्दौर
तीस	साझेदारी	राजनांदगांव
इक्तीस	मोटर यान अधिनियम	रवालियर
बत्तीस	विद्युत	राजनांदगांव
तैतीस	लोक सेवा आयोग	इन्दौर
चौतीस	सांख्यकीय	इन्दौर
पैतीस	जीवन बीमा	इन्दौर
छत्तीस	राष्ट्रीय नियोजन सेवा	इन्दौर
सैतीस	योजना तथा विकास	रीवा
अड़तीस	श्रम	इन्दौर
उन्नालिस	राजस्व मंडल (अंग्रेजी)	राजनांदगांव
उन्नालिस (अ)	राजस्व मंडल (हिन्दी)	राजनांदगांव
चालिस	लोक स्वास्थ्य अभियानिकी	भोपाल

टीप :— 1 लेखा 15 कार्यालय दस्तूरी नोट के अनुसूचित प्रपत्रों का मुद्रण एवं प्रदायगी का कार्य मध्यप्रदेश शासकीय मुद्रणालयों द्वारा निम्न प्रकार किया जाता है :—

- (1) शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल द्वारा सचिवालय, भोपाल में स्थित शासकीय कार्यालय और सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट, छिन्दवाड़ा और बैतूल जिलों के कार्यालयों को प्रपत्रों की प्रदायगी होगी।

- (2) शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, विंदिशा, नारायणगढ़, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, शाजापुर और राजगढ़ जिलों में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों को प्रपत्रों की प्रदायगी होगी।
- (3) शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर द्वारा इन्दौर, धार, झाबुआ, पूर्व निमाड़, पश्चिम निमाड़, मदरौर, रतलाम, उज्जैन और देवास जिलों में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों को प्रपत्रों की प्रदायगी होगी।
- (4) शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा द्वारा रीवा, बिलासपुर, सीधी, सरयुजा, रायगढ़, शहडोल और सतना जिलों में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों को प्रपत्रों की प्रदायगी होगी।
- (5) शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, राजनांदगांव द्वारा रायपुर, जबलपुर, दुर्ग, मण्डला एवं बस्तर जिलों में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों को प्रपत्रों की प्रदायगी होगी।

नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों द्वारा समेकित मांगपत्र निर्धारित मुद्रणालयों को फार्म नियम के अनुसार भेजे जाना चाहिये।

मुद्रित दस्तावेज़,
राजस्थान विधान सभा भवन

क्रमांक २४३९/१२५८ / १०८/२८

मोगल, इलाहाबाद १२०५२८
दिनांक १२/५/९५

प्रियत,

शासन दे सत्त्व विधानाध्यक्ष,
अध्यक्ष, राजस्थान भौत, अ.पृ. ए.पी.एर,
सर्वयक्ष, अ.पृ. विधान सभा, भोगल,
संचयक्ष, राज्य विवरणिकालों, भोगल,
सर्वयक्ष, लोक सेवा आयोग, अ.पृ. ए.पी.एर,
राजस्थान, हाईकोर्ट, अ.पृ. ए.पी.एर।

प्रियक्ष:- मुद्रेश दे सभा शासकीय विधायिकाओं/विधायिकाओं दे देखन सामग्री ५० रुपये
मुद्राये करने दे संदर्भ दे।

संदर्भ:- अ.पृ. शासन, राजस्थान विधान सभा क्रमांक ११९/१-२१/सात/ए-६/९५
दिनांक २७.४.९५।

संदर्भ आदेश दे प्रेरा २ एवं ३ दे विधानसभार प्रबोधन दिवा जाता है :-

२/- "संदर्भ आदेश दे साथ संलग्न विरक्षिप्त मुद्राओं दे दर्शये जनसार देखन
भौतिक विधानाध्यक्षों एवं अ.पृ. ए.पी.एर, विधायिका सदस्य उन्होंने छान्ति
गालों दे अंतरिक्षत भोगल विधायिकाओं दे संदर्भ आदेश दे एवं राज्यकालीन
२ दे दर्शये जनसार, लेखन तथा ग्रन्थ एवं दावत वा ग्रन्थ, तात्पर विषय, शासकीय
लेखन सामग्री एवं प्राप्ति भौत, इष्टान्वितुरा, भोगल विलक्षण वारा विधा
जाएगा।"

३/- " भोगल विधायिका सभा विधिवाल लेखन सामग्री का लेखन विधान सभा दे एवं
आदेश तह द्वाय नहीं दर सदेगे।"

केव प्राप्तिवान काला रहें।

मुद्रित दस्तावेज़ दे राजस्थान दे भा. से
लोक आदेश भौत,
संदर्भ दिनांक
अ.पृ. ए.पी.एर, राजस्थान विधान सभा
भोगल।

प्रियों,

नियंत्र, शारीरिक वृद्धि उक्त लेखन सांकेति,
सूचनार्थ संलग्नात्मक पर्याप्ति है। अर्थात्

जो साहचर्य और

हास्याद्यः,

१८८५ इति, राजदूत ब्रह्मा,